

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील बिसाही
आवेदन क्र० 201350030038952
प्रमाणपत्र क्र० 043203005134

जारी दिनांक: 19/09/2020

प्रमाणित किया जाता है कि
पुरुष/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कैज आलम
मौ० बुजुत
मुशरफी बेगम
असातननगर बघा
असातननगर बघा
बिसाही
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की बहुरी-री की जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1954 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कैज आलम पूर्वोक्त अधिनियम 1954 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 2000 लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनदेश संख्या 22/1692 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1946 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी करने केन्द्र: प्रमोद कुमार, जेकटाज जन सेवा केंद्र
पद: प्रमोद कुमार, केंद्र प्रभारी
स्वाक्षर: BOOJPER ASHA, मुरादाबाद, BOOJPER
ASHA, मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 19/09/2020
हस्ताक्षर एवं मुहर

PRABHA SINGH
District Collector
Department of Social Welfare
Muradabad
Date: 19/09/2020

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा जारी किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित है। आवेदक को केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://eDistrict.up.gov.in> पर सूचना पत्रों को देखने के लिए प्रमाणपत्र क्र० अधिकृत कर प्रमाणित किया जा सकता है।

<https://eDistrict.up.gov.in/eDistrict/Certificate/Caste/forms/printCert.aspx?application> 19-09-2020

vivo Y22 • Bahare alam
18-Jul-2024, 11:35